राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :–15/2021
रजू दिनांक :–15.02.2021

उनवान

1. विषेश शर्मा ना0बा0 उम्र 14 वर्ष पुत्र मोहनलाल जरिये संरक्षक मामा विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार शर्मा।
2. पूर्ति शर्मा ना0बा0 उम्र 176वर्ष पुत्र मोहनलाल जरिये संरक्षक मामा विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण हाल निवासी भिण्डों का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर जी0पी0ओ0 राजस्थान।

वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी बस्सी चक के पास ध्यविणों की ढाणी के पास आगरा रोड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादी/ प्रार्थी।

2. रामफूल पुत्र कालूराम
3. लालाराम पुत्र कालूराम
4. सीताराम पुत्र कालूराम
5. सुनिता देवी पत्नी विजय पंचौली समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
6. उप पंजीयक महोदय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

तरतीबी प्रतिवादीगण ।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :–श्री सुधीर शर्मा एड0 वादी/ अप्रार्थी की ओर से।
श्री राजेश शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 01/ प्रार्थी की ओर से।

दिनांक:–20.05.2024

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 521/1.38 वाके ग्राम बस्सी तह0 बस्सी साबिक ख.नं. 334/05–09 बीघा के बाबत पेश किया।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी/ प्रतिवाद सं. 01 ने दिनांक 28.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि हाल ख0नं0 हाल 521/1.38 वाके ग्राम बस्सी तह0 बस्सी बाबत दावा घोषणात्मक,दुरूस्ती इन्द्राज एंव हु0ई0दवामी का वादी / अप्रार्थी विनोद ने माननीय न्यायालय के समक्ष झुठा बेबुनियादी एवं मिथ्या पेश किया है। उपरोक्त वाद विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार शर्मा के हस्ताक्षर से प्रस्तुत हुआ है जिसने अपने आप को विषेश एवं पूर्ति का मामा बताया है जबकि विनोद शर्मा मिन प्रतिवादी / अप्रार्थी के पुत्र एवं पुत्रियों का रिश्ते मे मामा नही लगता है ना ही वह मिन प्रार्थी / प्रतिवादी का रिश्ते मे मामा लगता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि ना0बा0 व्यक्तियों की ओर से यदि कोई वाद प्रस्तुत किया जावेगा तो उनके संरक्षक को पहले तो सक्षम न्यायालय ने अपने

आपको संरक्षक नियुक्त करने का आदेश प्राप्त करना पडेगा एवं उसके बाद ही वह माननीय न्यायायल के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है माननीय न्यायालय के समक्ष विनोद शर्मा जो रिश्ते मे मिन प्रतिवादी के बच्चों का मामा नही है। उसने विधि विरूद्व तरीके से अपने रिश्ते को गलत बताकर वाद प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 38/2010 मे दिनांक 22.12.2016 को यह आदेश प्रदान किया है कि " यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 07 नियम 11 के अंतर्गत नही आता है तो यह धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ मे ही दबा देना चाहिए " एंव वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है वह भी तुच्छ एवं परेशान करने वाला ही वाद है जिसे न्यायहित मे प्रारम्भ मे ही दबा दिया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विनोद शर्मा नामक व्यक्ति ने मिन प्रतिवादी की संपत्ति को हडफ करने के लिए झुठे तथ्यों के आधार पर ना0बा0 बच्चों का सहारा लेकर बदनियती पूर्वक उक्त वाद पेश किया है इसलिए वाद काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 दिनांक 21.02.2023 को पेश किया जिस प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि वाद मे ना0बा0 बच्चों का मामा होना संहवन से दर्ज हुआ है उसके स्थान पर मौसा दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 एवं आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद के टाईटल मे विनोद शर्मा ने अपने आप को नाबालिगों का मामा होना कह कर संरक्षक दर्ज किया है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 मे वह अपने आप को नाबालिगान का मौसा होना अंकित किया है। कानूनन किसी भी नाबालिगान का संरक्षक माता या पिता या दादा या दादी अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसका रक्तसंबंध हो वो ही संरक्षक हो सकता है। विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार नाबालिगान मौसा है जो किसी भी प्रकार से नाबालिगान का संरक्षक नही बन सकता क्योंकि नाबालिगान का पिता मोहनलाल पुत्र कालूराम जीवित है वो ही नाबालिगान का संरक्षक है। इसलिए वादीगण का वाद कानूनन न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही है,जो विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा आराजी ख0न0 हाल 521/01.38 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, (जयपुर ग्रामीण)

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :–15/2021
रजू दिनांक :–15.02.2021

उनवान

1. विषेश शर्मा ना0बा0 उम्र 14 वर्ष पुत्र मोहनलाल जरिये संरक्षक मामा विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार शर्मा।
2. पूर्ति शर्मा ना0बा0 उम्र 176वर्ष पुत्र मोहनलाल जरिये संरक्षक मामा विनोद शर्मा पुत्र चन्दविहार शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण हाल निवासी भिण्डों का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर जी0पी0ओ0 राजस्थान।

वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी बस्सी चक के पास ध्यविणों की ढाणी के पास आगरा रोड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादी/ प्रार्थी।

2. रामफूल पुत्र कालूराम
3. लालाराम पुत्र कालूराम
4. सीताराम पुत्र कालूराम
5. सुनिता देवी पत्नी विजय पंचौली समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
6. उप पंजीयक महोदय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

तरतीबी प्रतिवादीगण ।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

दिनांकः–20.05.2024

पर्चा डिक्री

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा आराजी ख0न0 हाल 521/01.38 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)